चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग–2017

National Eligibility cum Entrance Test Counseling -2017

एन0ई0ई0टी0 काउंसिलिंग–2017 (**N.E.E.T. U.P. Counseling – 2017**)

ऑनलाईन पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका (**Brochure**)

उत्तर प्रदेश राज्य की

एम.बी.बी.एस.तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम

(M.B.B.S.and B.D.S. Courses)

Government/Private, including State/ Deemed University/Minority, Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked from original documents at the time of document verification in State Medical Colleges/Universities as detailed in brochure/website
https://upneet.gov.in & www.updgme.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate loose his/her candidature and would be subjected to legal action.

Help line no. 09532315657, 07897451786

Email ID - neetup2017ug@gmail.com

यू0पी0 नीट सत्र 2017–18 की काउंसिलिंग हेतु समय–सारणी (Schedule) निम्नवत् हैः–

अद्यतन सूचना हेतु वेबसाईट *https://upneet.gov.in &* *www.updgme.in* का अवलोकन अवश्य करें।

आन–लाईन पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	दिनॉक 05 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017
उत्तर प्रदेश मेरिट सूची प्रकाशित होने की तिथि	दिनांक 09 जुलाई 2017
पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की तिथि	दिनॉक 09 जुलाई 2017 से 13 जुलाई 2017
ऑनलाईन काउंसिलिंग **प्रथम चक्र**	दिनॉक 15 जुलाई 2017 से 16 जुलाई 2017
प्रथम चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	दिनांक 18 जुलाई, 2017
प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 18 जुलाई 2017 से 19 जुलाई 2017 तक
प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की तिथि	दिनांक 20 जुलाई 2017 से 22 जुलाई 2017 तक
ऑनलाईन काउंसिलिंग **द्वितीय चक्र**	दिनांक 18 अगस्त 2017 से 19 अगस्त 2017 तक
द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	दिनांक 21 अगस्त 2017
द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के धरोहर धनराशि जमा करने एवं आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	दिनांक 22 अगस्त 2017 से 23 अगस्त 2017
द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की तिथि	दिनांक 23 अगस्त 2017 से 24 अगस्त 2017
माप–अप राउण्ड आवंटन की तिथि	दिनांक 26 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक
प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनांक 31 अगस्त 2017

पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया

केवल वही अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेगें जो अभ्यर्थी यू0पी0 एन0ई0ई0टी0–2017 की वेवसाइट पर पंजीकृत होंगे।

पंजीकरण के लिए **https://upneet.gov.in** पर NEET Counseling -2017 के लिंक को क्लिक करें एवं वहॉ दिये गयें निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।

पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क, नान रिफण्डेबल (non refundable) सभी वर्ग के आवदकों के लिए रू0 1000/– प्रति छात्र निर्धारित है। अतिरिक्त बैंक ट्रान्जेक्सन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

भुगतान केवल आनलाइन पेमेन्ट (Online Payment) द्वारा ही होगा। इसके लिये डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ इण्टरनेट बैंकिगं का प्रयोंग करें (किसी भी बैंक का)।

बिना भुगतान पंजीकरण मान्य नहीं होगा और निरस्त कर दिया जायेगा।

NEET 2017 के माध्यम से चयनित छात्रों के एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा आरक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश

अर्हताएं (Eligibility)

(A) राजकीय क्षेत्र हेतु अर्हताएं (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालय/संस्थानों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है –

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित आन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा, प्रमाण पत्र–1 (ख) की टिप्पणी में दी गयी है।
3. जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उ.प्र. से उत्तीर्ण की हो, उन्हें उ.प्र. में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
4. ऐसे छात्र, जिन्होने हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''सामान्य निवास प्रमाण पत्र'' अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश–के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो प्रमाण पत्र 1 (क) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. ऐसे छात्र, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''मूल निवास प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो प्रमाण पत्र 1 (ख) पर उपलब्ध हैं, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मूल निवासी की परिभाषा प्रमाण पत्र –1 (ख) के प्रारूप में दी गयी है।

(B) निजी क्षेत्र हेतु अर्हताएं (Eligibility)

1. नीट 2017 की मेरिट सूची में अर्ह अभ्यर्थी, जिन्होंने निर्धारित आन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज, अल्पसंख्यक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

शैक्षिक अर्हता

अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन आन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन–1997 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के बी0डी0एस0 रेगुलेशन कोर्स–2007 के अनुसार अर्हकारी परीक्षा तथा नीट यू0जी0–2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित है।

क0सं0	श्रेणी	विषय	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत	नीट पर्सेन्टाइल
1	सामान्य श्रेणी	भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/जैव प्रोद्योगिकी	50%	50
2	अनुसूचित जाति		40%	40
3	अनुसूचित जनजाति		40%	40
4	अन्य पिछड़ा वर्ग		40%	40
5	सामान्य श्रेणी (Physically Handicapped)		45%	45
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Physically Handicapped)		40%	40

उक्त के अतिरिक्त एम0सी0आई0 एवं डी0सी0आई0 के रेगुलेशन्स के अनुसार समस्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(i) अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाणपत्र अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन 1997 (यथासंशोधित) तथा डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया के बी0डी0एस0 रेगुलेशन कोर्स–2007 के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगी। एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा डेन्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी जो निम्नवत् हैः–

(a) The Higher Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 higher secondary examination after a period of 12 years study, the last two years of study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research & Training after the introduction of the 10+2+3 years educational structure as recommended by the National Committee on Education. Note: Where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre-professional training before admission to the Medical/Dental College.

Or

(b) The intermediate examination in science of an Indian University, Board or other recognized examination body with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology which shall include a practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

Or

(c) The pre-professional/pre-medical examination with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology, after passing either the higher secondary school examination or the pre-university of an equivalent examination shall include a practical test is Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology and also English as a compulsory subject:

Or

(d) The first year of the three years degree course of a recognized university, with Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology including a practical test in these subjects provided the examination is a "University Examination" and candidate has passed 10+2 with English at a level not less than a core course.

Or

(e) B.Sc examination of an Indian University, provided that he/she has passed the B.Sc examination with not less than two of the following subjects in Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio- Technology and further that he/she has passed the earlier qualifying examination with the following subjects - Physics, Chemistry, Biology/Bio-Technology and English.

Or

(f) Any other examination which, in scope and standard is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian University/Board taking Physics, Chemistry and Biology/Bio- Technology including a practical test in each of these subjects and English.

(ii) शासनादेश संख्या –2991/71–2–12–55/2012 दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने/ काउन्सिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाये तथा यदि उन्हें काउन्सिलिंग के उपरान्त वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने के उपरान्त नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र होगें। उक्त व्यवस्था नीट 2017 हेतु भी अनुमन्य होगी।

आरक्षण (Reservation)

राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थान में आरक्षण

(अ) नीट–2017 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् 'उर्द्धवाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित–जाति (S.C.) के अभ्यर्थी — 21 प्रतिशत
2. अनुसूचित–जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी — 02 प्रतिशत
3. अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी — 27 प्रतिशत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 मार्च, 2017 अथवा उसके बाद का बना होना चाहिए।

सामान्य–वर्ग (U.R.)- के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस

संबंध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्तर–अ में उल्लिखत वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सामान्य सीटों को भरा जायेगा।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले मेंडिकल कॉलेजों में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'वर्टीकल' आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज–अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में उपलब्ध 85 सीटें (प्रत्येक कालेज हेतु) श्रेणीवार निम्नानुसार भरी जायेगीः–

1. अनुसूचित जाति – 62 सीट्स
2. अनुसूचित जनजाति – 05 सीट्स
3. अन्य पिछड़ा वर्ग – 11 सीट्स
4. अनारक्षित (सामान्य वर्ग) – 07 सीट्स

(ब) नीट– 2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत **'क्षैतिज आरक्षण'** (**Horizontal Reservation**) प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से दिव्यांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेंनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों, नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों तथा बी. ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन.सी.सी. कैडटों को निम्नवत् 'क्षैतिज आरक्षण' (Horizontal Reservation) प्रदान किया जायेगा–

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों) के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	03 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	01 प्रतिशत

यह आरक्षण **'क्षैतिज'** (**Horizontal**) प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा जिससे वह सम्बन्धित हैं।

उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा।

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगाः–

(क) अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

(ख) प्रमाण–पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट के आधार पर प्रवेश पायेंगे उन्हें उपर्युक्त आरक्षित सीटों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संख्या–2 पर शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप–2 के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(ङ) दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षित सीटों पर एम.बी.बी.एस / बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय परीक्षण मेडिकल विश्वविद्यालय तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 द्वारा गठित विशेष मेडिकल बोर्ड से करानी होगी और उक्त बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आरक्षित सीट के समक्ष उसकी अभ्यर्थन के संबंध में दिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की राय में दिव्यांगता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी काउंसिलिंग / प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र सं. एम.सी. आई–34(1)(GEN / 2009.मेड / 2569 दिनांक 21.04.2009 की व्यवस्था के अनुसार प्रथम काउन्सिलिंग में 50% से 70% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें आवंटित की जायेंगी। द्वितीय काउन्सिलिंग में यदि दिव्यांग श्रेणी की सीटें शेष रहती हैं तो ओपन कटेगरी सीट में शामिल करने से पूर्व इन सीटों को 40% से 50% लोकोमोटरी डिसेबिलिटी के अभ्यर्थियों को आवंटित किया जायेगा।)

(च) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वास्तविक आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों एवं पुत्री के पुत्र / पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे (संगत प्रमाण–पत्रों के प्रारूप संलग्नकों के रूप में प्रदर्शित हैं।)।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण–पत्र–4 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों (पुत्र / पुत्रियों एवं पुत्र / पुत्री के पुत्र / पुत्रियों) द्वारा अपने दावे के सर्मथन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–5 पर ही प्रस्तुत करना होगा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–6 पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा 'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेटधारी एन. सी.सी. कैडेट को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप के प्रमाण–पत्र–7 पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(छ) कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18 / 1 / 2008–का–2 / 2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र–पौत्री (पुत्र का पुत्र / पुत्री तथा पुत्री का पुत्र / पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को इस संबंध में अभिलेखों के सत्यापन के समय मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी संबंधित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र से प्रमाणित छायाप्रति की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ज) **स्पेशल अपील संख्या–689 / 2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को नीट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।**

रिट सी संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2017 के अनुपालन में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।

शासनादेश संख्या–22 सी0एम0 / (1) / 26–3–2013 दिनांक 10 जून, 2013 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी, जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा, उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(झ) <u>निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण–</u>

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु धरोहर धनराशि लिये जाने के सम्बन्ध में

1. नीट यू0जी0 2017 की उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल/डेन्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/ विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में आनलाईन प्रक्रिया (डेबिट/क्रेडिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग से ही) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

ऑनलाईन काउंसिलिंग **(Online Counseling)**

<u>ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रवेश सबंधी सूचना</u> :

(अ) प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं नीट यू0जी0–2017 के प्रवेश पत्र तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा। विस्तृत सूचना हेतु वेबसाईट ***https://upneet.gov.in / www.updgme.in*** का अवलोकन करें।

1. अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र तथा/अथवा अंकतालिका (हाईस्कूल/इंटरमीडिएट एवं बी.एस.सी.)।
2. ऑन–लाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों उसी से बना हुआ दो फोटोग्राफ।
3. श्रेणी प्रमाण–पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों) मूल–रूप (Original) में ।
4. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र (Original Certificate) ।
5. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का मूल उपयुक्त प्रमाण–पत्र (Prescribed Certificate in Original)
6. नीट 2017 का प्रवेश–पत्र (Admit card)
7. नीट 2017 Rank Letter मूल रूप में।
8. ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिण्ट आउट।

(ब) माप–अप राउन्ड हेतु नीट यू0जी0–2017 अर्ह एवं प्रदेश में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पंजीकरण के आधार पर सृजित एवं प्रकाशित स्टेट मेरिट सूची के क्रम में काउंसिलिंग के लिए बुलाया जायेगा। पाठ्यक्रमों/ कालेजों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए विकल्प एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा।

(स) माप–अप राउन्ड हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(द) यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्यागपत्र दे देता है तो धरोहर धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

कॉलेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

(List of Colleges, Courses and Available Seats)

राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान

क्र0सं0	एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ	210
2.	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
3.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा	125
4.	एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	125
5.	एल.एल.आर.एम.मेडिकल कॉलेज, मेरठ	125
6.	एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी	82
7.	बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	82
8.	उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	127
9.	राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
10.	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज'(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
11.	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन'(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
12.	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	85
13.	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	85
14	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	85
15	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	128
	योग	**1673**

क्र0सं0	बी.डी.एस. पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ, (दंत विज्ञान संकाय)	51
	योग	51

निजी क्षेत्रों के मेडिकल/डेण्टल कालेजों, विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों की सूची निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	(क) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम/कॉलेज वार सीटों की कुल संख्या
1.	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	100
2.	श्रीराममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	100
3.	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	150
4.	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	100
5.	रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च सेन्टर, कानपुर	100
6.	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़	100
7.	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	100
8.	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज,शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	150
9.	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद	150
10.	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	150
11.	राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली	150
12.	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	150
13.	के0 डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा	150
14.	टी0एस0एम0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	150
15.	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	150
16.	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
17.	एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
18.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
19.	तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	150
20.	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
21.	एफ0एच0 मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	150
	योग–	**2650**
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न कालेजों को शैक्षणिक सत्र 2017–18 एवं 2018–19 हेतु डिबार्ड किया गया है।	
1.	जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	150
2.	ग्लोकल मेडिकल कालेज एण्ड सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल, सहारनपुर	150
3.	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	150
4.	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	150
5.	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा	150
6.	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	150
7.	मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज, फर्रूखाबाद	100
8.	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	150
	योग–	**1150**

Note: Seats can be changed in any institution at the time of Counseling.
टिप्पणी : काउंसिलिंग के समय सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

क. सं.	(ख) बी.डी.एस. पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम / कॉलेज वार सीटों की कुल संख्या
1.	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	100
2.	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	100
3.	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	100
4.	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	100
5.	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद	100
6.	बी0बी0डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	100
7.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल स्टडीज एण्ड टेक्नोलाजी, मोदीनगर, गाजियाबाद	100
8.	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज, मुरादनगर, गाजियाबाद	100
9.	के0 डी0 डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा	100
10.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली	100
11.	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी	100
12.	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद	100
13.	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	100
14.	महाराणा प्रताप डेण्टल साइंसेज, कानपुर	100
15.	पूर्वान्चल इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर	100
16.	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद	100
17.	आई0टी0एस0 कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा	100
18.	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	100
19.	स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	100
20.	संतोष डेण्टल कालेज, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
21.	डी0 जे0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
22.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
23.	तीर्थांकर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
	कुल योग–	**2300**

Note: Seats can be changed in any institution at the time of Counseling.
टिप्पणी : काउंसिलिंग के समय सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

प्रमाण–पत्रों का प्रारूप
Format of Certificates

(नीचे दिये गये प्रारूपों में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण पत्र नं. 1 (क)
(केवल उन्ही अभ्यर्थियों के लिए जिन्होने हाईस्कूल अथवा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

कार्यालय जिलाधिकारी ....(जनपद का नाम)

''सामान्य निवास प्रमाण पत्र''

प्रमाण पत्र संख्या.................................. दिनांक ....

तहसीलदार .... की जॉच आख्या दिनांक .... के आधार पर एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी मकान नं0.......................ग्राम/मोहल्ला.............. थाना...... .... तहसील.. जिला .... उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं तथा इनका वर्तमान पता है।

उपर्युक्त की पुष्टि आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा तहसीलदार ....की आख्या से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 के .... जनपद का सामान्य निवासी होने (ORDINARILY RESIDENT) विषयक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

स्थान............................

हस्ताक्षर..
पूरा नाम..
पदनाम तथा सील..
(उ0प्र0 में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय उपरोक्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1– केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4–उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ–पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

5–विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अथवा

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र नीट काउंसिलिंग 2017 हेतु अनुमन्य होगा
1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।
4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..श्री........................के पुत्र/पुत्री हैं, जो....................................(देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर..

जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)................

सील

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 1 (ख) **(UPPR)**
(उ.प्र. में मूल निवास का प्रमाण पत्र)

संख्या.............................. दिनांक ....

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं...................................को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या..................................... के अन्तर्गत आता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..

हस्ताक्षर..

दिनांक .... पूरा नाम ....

पदनाम तथा सील...

(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

टिप्पणी :

1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

(क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

(ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन–पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी तथा उसके पिता/माता के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं हैं।

अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) को पिता/माता का सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अथवा

(घ) विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय उपरोक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1– केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्मों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4–विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र नीट काउंसिलिंग 2017 हेतु अनुमन्य होगा

1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. ....
श्री.. के पुत्र/पुत्री हैं, जो............................... .... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक ....
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
सील

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या.............................. दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पुत्र/पुत्री/श्री.............. .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... .जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तगर्त मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनसूची–दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम–2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता–पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपए या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील............................नगर .... जिला...................................... में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर..

दिनांक .... पूरा नाम ....

स्थान... पद नाम तथा सील.......................................

मुहर .... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
टरख, अर्कवंशीय
काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य
कहार, कश्यप
केवट या मल्लाह, निषाद
थकसान
कोइरी
कुम्हार, प्रजापति
कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार,
कुर्मी–मल्ल, कुर्मी सैथवार
कम्बोज
कसंगर
कुजड़ा या राईन
गोसाई
गूजर
गड़ेरिया, पाल, और बघेल
गद्दी, घोशी
थगरि
चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक
छीपी, छीपा
जेगी
झोजा
डफाली
तमोली, बरई, चौरसिया
तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार
दर्जी, इदरीसी, काकतस्था
धीवर
नक्काल
नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
नायक
फकीर
बंजारा, रन्की, मुकेरी, मुकोरानी
बढ़ई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल,
रमगढिया, जांगिड, धीमान
बरी
बैरानी
बिन्द
बियार
भर, राजभर
भुर्जी, भड़भेजा, भूज, कशोधन
भठियारा
माली, सैनी
मनिहार, कचेर, लसैरा
मुराव या मुराई, मौर्य
मोमिन अंसार
भिरासी
मुस्लिम कायस्थ
मारछा
रंगरेज, रंगवा
लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी–राजपूत
लोहार, शैफी
लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर,
लोनिया–चौहान
सोनार, सुनार, स्वर्णकार
स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर
हलवाई मोदनवाल
हज्जाम, नाई, सलवानी, सबिता, श्रीवास
रायसिख
सक्का भिस्ती, भिश्ती अब्बासी
धोबी (जो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियां गंधी, अर्राक की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार
नानबाई
मैर शिकार
शेख, सरबरी (पिराई) पीराही
मेद, मेवाती
कोष्टा / कष्ठी
रोड
खुमरा, संगत राम, हसीरी
मोर्चा
खागी
तंवर सिंघाड़िया
कतुआ
महीगीर
छांगी
धाकड़
गाड़ा
तंतवा
जोरिया
पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
जाट
कलाल, कलवार, कलार
नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरेकिरण (कर्ण)

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्देष्ट से कर लिया जाय।

प्रमाण–पत्र नं. 3
दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का प्रारूप (UPPH)

संख्या .... दिनांक.......................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. नीट 2017 ....अनुक्रमांक* पुत्र/पुत्री श्री .... नीट 2017 के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिव्यांग श्रेणी में आते/आती हैं, कि एम.सी.आई. के पत्र सं.–एम.सी. आई.–34(1)/2009–मेड/02569, दिनांक 21.04.2009 के अनुसार श्री/श्रीमती/ कुमारी........................ .... की सिर्फ लोवर लिम्ब की दिव्यांगता 50% से 70%** अथवा 40% से 50%** के मध्य है तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर................................ **अध्यक्ष विशेष बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील**
एवं फोटोग्राफ

प्रति हस्ताक्षरित

मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण–पत्र जारी करें।

** नोटः– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय। यदि बोर्ड की राय में दिव्यांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण–जारी न किया जाये।

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 4

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

संख्या.............................. दिनांक ....

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील...नगर..जिला... उत्तर प्रदेश राज्य की.................................. जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ....ग्राम................ तहसील..नगर.. जिला...में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर...

पूरा नाम ....

पदनाम तथा सील ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1. अगरीया
2. बधिक
3. वदी
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बजगी
9. ब्लहर
10. बलई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुश
14. बांसफोर
15. बरवार
16. बसोड़
17. बयरिया
18. बेलदार
19. बेड़िया
20. भ्रांतु
21. भुइया
22. बोरिया
23. भदयार
24. चमार, झूसिया, धुसिया, जाटव
25. नेरो
26. छबगर
27. धागंर
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरमी
35. धसिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबुड़ा
39. केली
40. केला
41. क्लाबाज़
42. कंजड़
43. कबडिया
44. करबल
45. खरैता
46. खरबार (बनवासी को छोड़कर
47. खटिक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. ललबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. पहरिया
59. पसी, तरमाली
60. पतरी
61. श्रावत
62. सहरिया
63. सनोरिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू
2. बेनस
3. भोटिया
4. श्राजी
5. जौनसारी

शासनादेश संख्या–111 भा.स./26.03.2003(7) /2003 दिनांक 3.07.2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया हैः–

6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
12. अगरिया (सोनभद्र जनपद में)
13. पटारी (सोनभद्र जनपद में)
14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग–1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश–2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश–2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 5 (UP FF)

संख्या.................. दिनांक......................

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केआश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती...निवासी.............................. .... ग्राम .... तहसील.. नगर........................ ....जिला...................................... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)..पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री(पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान .... हस्ताक्षर...............................

दिनांक.. पूरा नाम..............................

पद नाम..............................

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर... मोहर ....

जिलाधिकारी

(सील)

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

प्रमाण–पत्र प्ररूप नं. 6
उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या.............................. दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..निवासी .... ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय..सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक.................................. को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युद्ध में आहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।

वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री .... भारतीय...................................... सेना की यूनिट..... ....में नियुक्त थे।

दिनांक सेना की संबधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .... दिनांक ....

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी...निवासी ....उपरोक्त श्री .... के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक .... जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
थल/नभ/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 7**(UPNC)**
राष्ट्रीय कैडेट कोर
NATIONAL CADET CORPS

संख्या.............................. दिनांक ....

प्रमाण पत्र "सी"
CERTIFICATE "C"

सं. .... रैंक ....

No. .... Rank ....

नाम .... सुपुत्र/सुपुत्री ....

Name .... Son/Daughter of...यूनिट

.... Unit

.... NCC

Directorate (राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय)... प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित कैडेट ने रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन सन्................................ में हुई प्रमाणपत्र 'सी' परीक्षा 'बी' श्रेणी में पास कर ली है।

This is to certify that the above mentioned Cadet has passed the Certificate 'C' Examination in 'B' Grade held in year.................... under the authority of Ministry of Defence, Government of India.

क्र. सं.
Sl. No. ....
स्थान
Place..
दिनांक
Date...

Brigadier
Dy DG NCC DTE (UP&UA) Lucknow
उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर
Dy. Director General, National Cadet Corps

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।